न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

फाईनल डिक्री– 430 सन् 2015

अरूण कुमार दूबे व अन्य.........वादीगण

बनाम

जयंती देवी व अन्य............प्रतिवादीगण

दिनांक– 04.06.2021

वादी की ओर से हाजिरी दी गई है। प्रतिवादी अनुपस्थित है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को वादी की ओर से दिनांक 06.10.2020 को दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता पर विगत तिथि को सुना जा चुका है। आज अभिलेख आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी (डिक्रीदार) की ओर से दिनांक 06.10.2020 को आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कथन है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 1 जयंती देवी जौजे– स्व0 आनंद मोहन मिश्रा पुत्री हजारी दूबे जो ग्राम– जिरूतिया पो0– चांदडिह, जिला– देवघर की निवासी है को पक्षकार बनाया गया है। टंकक की गलती से जयंती देवी के पता में जिला–देवघर के जगह सारण जिला टंकित हो गया है। जिसका मरम्मत होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 1 जयंती देवी के पता में संशोधन कर जिला सारण को काटकर जिला देवघर दर्ज कर दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त संशोधन आवेदन पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। मूल बंटवारा वाद 430/15 के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के

अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी सं0 1 जयंती देवी के पता में जिला देवघर अंकित है और फाईनल डिक्री 430/15 में प्रतिवादिनी जयंती देवी के पते में जिला सारण अंकित है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोान आवेदन पोषणीय है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 06.10.2020 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे समय सीमा के भीतर संशोधन करें।

वाद दिनांक– 18.06.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।